

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सह सदस्य सचिव
स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन एवं प्रबंधन समिति
पतराटोली दुलदुला, जिला-जशपुर (छ.ग.)

--: आदेश :-

क्रमांक/ 1085 /शि.स्था.02/SAGES/संविदा भर्ती./2022-23/

जशपुर दिनांक :- 31-05-2022

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 23-08/2020/20-तीन/नवा रायपुर दिनांक 30.06.2021 एवं परिपत्र क्रमांक 23-08/2020/20-तीन नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 08.07.2021 के तहत जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम लिए स्वीकृत पद अनुसार स्वामी आत्मानंद, उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पतराटोली दुलदुला, जिला-जशपुर (छ.ग.) में अधोलिखित कॉलम नम्बर 02 के पद पर चयनित अभ्यर्थी को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कॉलम नम्बर 06 में दर्शित विषय में अग्र उल्लेखित शर्तों के अधीन एतद् द्वारा संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है :-

क्र.	पदनाम	नाम	पिता/पति का नाम	पता	विषय	चयनित वर्ग	मानदेय (मासिक)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	व्याख्याता	MANJARI PATEL	PREM SAGAR PATEL	MAKAN NO 36 HIGH SCHOOL PARA LAILUNGA,	गणित (अ.मा.)	अना.	38100/-

यह नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :-

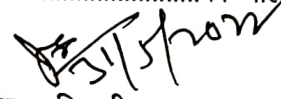
- यह नियुक्ति "छठगठ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012" के अधीन होगी। एवं अभ्यर्थी छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होंगे, तद् अनुसार अवकाश की पात्रता होगी।
- उक्त पद पूर्णतः अस्थायी है। यदि भविष्य में शासन के द्वारा उक्त पदों पर भर्ती किये जाने पर यह नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
- संबंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति मेडिकल बोर्ड से चिकित्सकीय प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रत्याशा में की जा रही है। जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाये जाने पर उनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।
- अभ्यर्थी के विरुद्ध किसी प्रकार के अपराधिक मामले पाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी। चयनित संविदा कर्मचारी के कार्य व्यवहार संतोषजनक न होने की स्थिति में अथवा उस पद की आवश्यकता न होने पर उम्मीदवार की सेवाएं समिति द्वारा किसी भी समय समाप्त की जा सकेंगी।
- संविदा नियुक्त अभ्यर्थी नियमितिकरण के लिए किसी भी प्रकार का दावा नहीं कर सकेगा और ना ही उस पद के विरुद्ध उस व्यक्ति विशेष को नियमित भर्ती के समय कोई प्राथमिकता/छूट दी जावेगी।
- अभ्यर्थी का कार्य-व्यवहार एवं परीक्षा परिणाम संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में उन्हें एक (01) माह का पूर्व नोटिस देकर उनकी संविदा नियुक्ति की सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी। संविदा नियुक्त व्यक्ति भी एक माह पूर्व का सूचना या एक (01) माह का वेतन जमा कर सेवा से त्याग पत्र दे सकता है।
- यह संविदा नियुक्ति 30 अप्रैल 2023 तक के लिए होगी तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर कार्यक्षमता एवं आचरण/व्यवहार संबंधी वार्षिक कार्य निष्पादन के आधार पर दोनों पक्षों की सहमति के कार्य अवधि आगामी सत्र के लिए निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व समस्त आवश्यक मूल प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति स्व-प्रमाणित कर पदस्थापना शाला में प्रस्तुत करना होगा।
- उपरोक्त नियुक्ति हेतु शासन द्वारा निर्धारित एकमुश्त संविदा वेतन के अतिरिक्त किसी प्रकार के अन्य वेतन एवं भत्ते की पात्रता नहीं होगी।
- उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण दिये जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रसारित निर्देशों का पालन किया गया है।
- संविदा नियुक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम के प्रतिकूल व गंभीर स्थिति/प्रकरण में तत्काल उसे सेवा से पृथक किया जा सकेगा।
- यदि उर्पयुक्त नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा अपने आनलाईन आवेदन, अभिलेख सत्यापन में प्रस्तुत जानकारी/प्रमाण पत्र गलत/भ्रामक/कूटचित पाये जाते हैं तो उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के युक्तियुक्त प्रावधानों के अधीन कठोर कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं पूर्णरूपेण उत्तरदायी होगा।
- चयनित अभ्यर्थियों को दिनांक 15 जून 2022 तक संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि तक उपस्थित न होने पर चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

(स्वामी आत्मानंद उ.अ.मा.वि.संचालन एवं प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित)

जिला शिक्षा अधिकारी सह सदस्य सचिव
स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय
संचालन एवं प्रबंधन समिति पतराटोली दुलदुला
जिला-जशपुर (छ.ग.)

1. सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर आी ओर सादर सूचनार्थ।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन, छ.ग. नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकार छत्तीसगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर, जिला-जशपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जशपुर छत्तीसगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।
6. पुलिस अधीक्षक, जशपुर जिला-जशपुर छत्तीसगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।
7. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, सरगुजा संभाग अम्बिकापुर छत्तीसगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (छ.ग.) को सूचनार्थ।
9. प्राचार्य, स्वामी आत्मानन्द, उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, जिला-जशपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
10. संबंधित श्री/श्रीमती/कु.

.....को पालनार्थ।


जिला शिक्षा अधिकारी सह सदस्य सचिव
स्वामी आत्मानन्द उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय
संचालन एवं प्रबंधन समिति पतराटोली दुलदुला
जिला-जशपुर (छ.ग.)